नई योजनाएँ 2005–2006

1. **गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान** – यह एक नयी योजना है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किये जा रहे कार्यो को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन्हें अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि इसका सीधा लाभ्ज्ञ सम्बन्धित लोगों को प्राप्त हो सके। इसके लिए 2005–2006 में राशि के प्रावधान का प्रस्ताव है।
2. **अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को सहायक अनदान** – यह एक नई योजना है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के सदस्यों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जिसके लिए राशि के प्रावधान का प्रस्ताव है।
3. **लाह उत्पदान के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता** – लाह उत्पादन के क्षेत्र में केन्द्र सरकार से प्राप्त 8.09 करोड़ रूपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रस्तावित योजना को राष्ट्रीय लाह अनुसंधान संस्थान एवं गैर–सरकारी संगठन की सहायता से चलाने का प्रस्ताव है। इस योजना को चार वर्षो में पूरा किया जायेगा।

विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत क्रियान्वित एवं प्रस्तावित योजनाएँ

1. **विशेष केन्द्रीय सहायता** – विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से मुख्यतः जनजातियों के कल्याण हेतु परिवारोन्मुखी आयवृद्धि योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इस योजना अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि का 70 प्रतिशत परिवारोन्मुखी आयवृद्धि योजना तथा 30 प्रतिशत आधारभूत संरचनाओं के विकास पर व्यय किया जा सकता है। आयवृद्धि योजनाओं में मुख्यतः कृषि, बागवानी, भूमि सुधार, जलछाजन, गृदा एवं जल संरक्षण, पर्यावरण, वनग्रामों एवं वनों का विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम एवं आदिवासी महिलाओं के विकास काय कार्यक्रम लेने का प्रावधान है।

   विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 में रूपये 7573.74 लाख रूपये की प्राप्त राशि से आयवृद्धि योजना एवं आधारभूत संरचना में वृद्धि की योजना की स्वीकृत की गयी है।

   संविधान की धारा 275(1) – इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः जनजातियों के कल्याण हेतु आधारभूत संरचना के विकास के लिए योजनाएँ ली जाती है। वित्तीय वर्ष 2001–2002 में इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में अनुसूचित जनजाति हेतु 100 शैय्या वाला एक बालक छात्रावास निर्माण की योना ई0 पी0 आई0 के माध्यम से कार्यान्वित की गई। संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित करायी गयी हैं :–

   (क) 50 शैय्या ग्रामीण अस्पताल – राज्य के प्रत्येक मेसो क्षेत्र में 50 शैय्या के 1–1 आधुनिक अस्पताल निर्माण कराने का प्रस्ताव है। इस योजना पर प्रति अस्पताल 1,20,00,000/– रूपये की अनुमानित दर से कल 16,80,00,000/– रूपये व्यय की

स्वीकृति की गयी है।

इस महत्वाकांक्षी योनजा से ग्रामीणों को समुचित चिकित्सा प्राप्त होगी।

(ख) हॉकी एकेडेमी की स्थापना – राँची में एक हॉकी एकेडेमी की स्थापना हेतु 130.61 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना से राज्य के हॉकी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे जिससे राज्य एवं देश का नाम होगा।

(ग) तीरंदाजी एकेडेमी की स्थापना – तीरंदाजी जनजातियों की सदियों पुरानी परम्परा है। यह अब एक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल का अभिन्न अंग है। जनजातीय के इस परम्परागत कौशल को और अधिक कारगर बाने के उद्देश्य से एक तीरदाजी एकेडेमी की स्थापना हेतु 150.00 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है।

(घ) सरायकेला में नृत्य एकेडेमी की स्थापना – छऊ नृत्य झारखण्ड राज्य की एक नृत्य शैली है। इसमें सरायकेला क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त है। इस नृत्य शैली में समुचित विकास के लिए छऊ नृत्य एकेडेमी की स्थापना पर 63,50,000/–रूपये की स्वीकृति की गयी है।

इस योजना से झारखण्ड की सांस्कृति धरोहर को अक्षुण्ण रखने में सहायता मिलेगी।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2004–05 में तीन शीतगृह निर्माण, तीन एस्ट्रो टर्फ एवं 14 मेसो क्षेत्र बहुद्देशीय हॉल के निर्माण की स्वीकृति की गयी है।

(च) वित्तीय वर्ष 2004–05 में संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित 28 आवासीय विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, उपयोजना क्षेत्रांतर्गत 2 लघु सिंचाई योजना, 29 चेक डैम की योजना, 117 आदिवासी गाँव मे सोलर विद्युतीकरण, 13 विद्यालयों में 50 शैय्या छात्रावास निर्माण, 56 आवासीय विद्यालयों में डीप बोरिंग/कुआँ एवं 15 आवासीय विद्यालय मे ट्रांसफार्मर के साथ विद्युतीकरण की योजना आदि हेतु भारत सरकार से 2086.80 लाख की राशि प्राप्त हुई है जिसका कार्यान्वयन 2005–06 में किया जायेगा।

कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अन्य संस्थान

1. झारखण्ड ट्रायबल डेवलपमेन्ट सोसायटी, राँची

झारखण्ड ट्राईबेल डेवलमेन्ट सोसायटी, झारखण्ड सरकार के कल्याण विभाग के अन्तर्गत एवं पंजीकृत स्वायत्त संस्था है। इस संस्था का गठन सितम्बर 2002 को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (ईफाड) द्वारा संपोषित झारखण्ड आदिवासी विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्रामों में सभाओं/समुदाय का सशक्तिकरण करते हुए आदिवासियों एवं अन्य गरीब परिवारों को आजीविका के सवसरों में सुधार एवं वृद्धि कर उनकी खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उनके जीवनस्तर में सुधार लाना है।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के चार आदिवासी बाहुल्य जिलों के निम्नलिखित विकास

प्रखण्डों में किया जा रहा है। :–

क्र० जिला का नाम विकास प्रखण्ड

1. पूर्वी सिंहभूम डुमरिया

2. पश्चिमी सिंहभूम टोन्टो, सोनुआ, गोईलको, खूंटपानी

3. सरायकेला–खरसावाँ राजनगर

4. राँची अड़की, अनगड़ा

यह कार्यक्रम 2 चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है, प्रथम चरण में चयनित जिलों के लगभग 90 (स्वाभाविक ग्राम) लिये जा रहे हैं। प्रथम चरण की अवधि 3 वर्ष की है। दूसरे चरण में कार्यक्रम का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अवधि लगभग 5 वर्ष की होगी एवं लगभग कुल 350 ग्रामों में कार्यक्रम का विस्तार होगा।

कार्यक्रम की सम्पूर्ण लागत 86 करोड़ 60 लाख रूपये है जिसमें 47 करोड़ 88 लाख रूपया अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (ईफाड) द्वारा ऋण, 22 करोड़ 8 लाख रूपया डी एफ डी अनुदान, 9 करोड़ 69 लाख झारखण्ड सरकार अंशदान तथा 6 करोड़ 95 लाख कार्यक्रम लाभुक द्वारा के रूप में प्रस्तावित है।

कार्यक्रम के लक्ष्य समूह चयनित लघुछाजन क्षेत्रों में चयनित ग्रामों के सभी परिवार हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे ग्रामों का चयन किया जायेगा जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आदिम आदिवासी समूह की जनसत्ता कुल आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक तथा उस सबसे पीड़ित समूह जैसे– महिलाएँ, भुमिहीन, लघु एवं सीमान्त कृषक आदिम आदिवासी समूह आदि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निम्न गतिविधियाँ संचालित होंगी :–

(क) कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम सभा स्तर पर ग्राम के समुदाय द्वारा होना है, अतः ग्राम सभा एवं ग्राम स्तरीय संगठनों, विशेष कर महिला संगठन एवं सीमान्त समूहों को सशक्त करना है ताकि वे स्वयं अपने विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का आंकलन कर सकें एवं योग्य विकास हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन कर सकें।

(ख) आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने हेतु जलछाजन प्रबंधन, सामुदायिक वन प्रबंधन, मत्स्य/पशुपालन छोटे कृषि एवं अकृषि रोजगार आदि को प्रोत्साहन देना है।

कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्वाभाविक/पारंपरिक ग्राम में एक ग्राम का गठन किया जाएगा। इस ग्राम सभा के द्वारा तकनीकी समितियाँ जैसे जलछाजन क्षेत्र विकास समिति तथा तकनीकी समितियों को चयनित गैर–सरकारी संस्थाओं तथा विशेषज्ञों का सतत् मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति विभिन्न विकास कार्यों की योजनाएँ बनाएंगी तथा इन याजनाओं को ग्राम सभा एवं जिला कार्यक्र क्रियान्वयन इकाई द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। योजना के

क्रियान्वयन हेतु धनराशि ग्राम कार्यक्र समुदाय, स्वयं ग्राम सभा के माध्यम से अपने विकास से सम्बधित आवश्यकताओं का आंकलन कर योग्य विकास हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन कर सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 एवं 2003–2004 एवं 2004–05 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत झारखण्ड ट्रायबल डेवलपमेन्ट सोसायटी को तीन करोड़ रूपये की धनराशि राज्यांश के रूप में एवं भारत सरकार से प्राप्त 106.33 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। सोसायटी गठन के बाद कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत 90 गाँवों को अच्छादित कर लिया गया है। 25 सूक्ष्म जलछाजन क्षेत्रों को आच्छादित कर दिया गया है। कार्यक्रम में कुल 9 पी0 टी0 जी0 गाँ सम्मिलित किये गये हैं। कार्यक्रम क्षेत्र में 236 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर रूपये 12,30,690 ⁄ – बीज पूँजी, आयवृद्धि कार्यों के लिए दिया गया है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत् विशेष कार्य किये गये हैं।

2. झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम, राँची द्वारा संचालित योजनाएँ

उद्देश्य : झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारिता विकास निगम, राँची के द्वारा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सफाई कर्मियों (भंगियों), अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं समाजिक उन्नयन के लिए राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा योजनाएँ स्वीकृत की जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मुख्यतः उपर्युक्त समुदायों की पारिवारिक आय में वृद्धि करना है।

स्वरूप : झारखण्ड राजय आदिवासी सहकारिता विकास निगम, राँची का राज्य सरकार द्वारा राज्य के उपर्युक्त समुदायों को स्वीकृत योजना अन्तर्गत सावधि ऋण मुहैय्या कराने के लिए बैंददमसपेपदह ।हमदबल घोषित किया गया है।

एन0 एस0 टी0 एफ0 डी0 सी0, एन0 एस0 सी0 एफ0 डी0 सी0, एन0 बी0 सी0 एफ0 डी0 सी0, एन0 एस0 के0 एफ0 डी0 सी0, एन एम0 एफ0 डी0 सी0 के द्वारा झारखण्ड आदिवासी सहकारिता विकास निगम को स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध 4 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर सावधि ऋण उपलब्ध कराती है। आयवृद्धि योजनाओं में मुख्यतः निम्नलिखित योजनाएँ हैं :–
ट्रैक्टर वितरण, ट्रेकर वितरण, जीप वितरण, डीजल ऑटो रिक्शा वितरण, ऑटोमोबाईल रिपेयरिंग दुकान, किराना दुकान, रेडिमेड वस्त्र दुकान, टेन्ट हाउस, टेलीफोन बूथ, साईकिल रिपेयरिंग शॉप, होटल–ढाबा खोलना, हस्तशिल्प एवं मछली पालन इत्यादि।

प्रक्रिया : लाभुको के चयन के लिए विभिन्न समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। प्राप्त आवेदन–पत्रों पर योजनानुसार विधिवत् गठित समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जाता है। चयनित लाभुकों को दोहरी गरीबी रेखा ;क्वनइसम च्वअमतजल स्पदमद्ध का लाभ देते हुए उनके योजनानुसार 6–9 प्रतिशत साधारण ब्याज पर विधिसम्मत एकरारनामा कराकर सावधि ऋ़ण उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में निगम द्वारा रूपये 1932.077 लाख की लागत पर परिवहन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा/लघु व्यवसाय के क्षेत्र मे अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति एवं सफाई कर्मचारी को निम्नवत् सामग्रियों का वितरण किया गया है :–

		कुल इकाई
1.	डीजल ऑटोरिक्शा	274
2.	डीजल साफ्ट टॉप चार चक्का वाहन	269
3.	डीजल चलित तीन चक्का पिकअप	50
4.	ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरण	133/266
5.	ऑटोमोबाईल रिपेयरिंग शॉप	36
6.	साईकिल रिपेयरिंग	50
7.	टेलरिंग	21
8	मेडिकल रिपेयरिंग	22
9.	आटा चक्की	22
10.	घरेलु बिजली मरम्मती दुकान	122
11.	जेनरल प्रोविजन स्टोर	167
12.	घड़ी मरम्मती	11
13.	फर्नीचर	30
14.	ब्यूटी पार्लर	5
15.	स्टोन क्रशर	1
16.	रेडिमेड गार्मेंट दुकान	17
17.	फेब्रीकेशन (गेट एवं ग्रील)	27
		1266 इकाई

3. **झारखण्ड जनजातीय शोध संस्थान**

उपलब्धि –

कल्याण विभाग द्वारा संचालित एवं संधारित जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं विभिन्न समस्याओं एवं अन्य पहलुओं पर शोध कार्य को संपादित किया जाता है और इसके फलाफल से सरकार को अवगत कराया जाता है। इस शोध संस्थान द्वारा अनुसूचित जनजाति के सांस्कृतिक पहलुओं से सम्बन्धित एक संग्रहालय भी संधारित है। शोध संस्थान के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जाति के छात्र–छात्राओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण

1. कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी : वित्तीय वर्ष 2003–2004 में इस योजनान्तर्गत कुल 129 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी का निर्णय लिया गया। इसके विरूद्ध जिलों को कुल 5,66,47,870/– रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2004–2005 में इस योजनान्तर्गत कुल 400.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी। 2005–06 में भी इस मद में राशि के प्रावधान का प्रस्ताव है।
2. अल्पसंख्यक छात्रावास : वित्तीय वर्ष 2003–2004 में अल्पसंख्यसक छात्र/छात्राओं हेतु 50 शैय्या वाला 4 (चार) छात्रावास निर्माण के लिए कुल 137.98 लाख रूपये

स्वीकृत एवं आवंटित की गयी। वर्ष 2005–06 में भी इस मद में राशि का प्रावधान है।

3. कियोस्क का निर्माण : वित्तीय वर्ष 2003–2004 में गरीबी रेखा से नीचे बेराजगार अल्पसंख्यकों के लिए कुल 200 कियोस्क निर्माण कर आवंटित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिये कुल 100.00 लाख की राशि स्वीकृत एवं आवंटित की गयी है। प्रति कियोस्क का मानक प्राक्कलन 50,000/– रूपये निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2004–2005 में इस योजनान्तर्गत कुल 65.00 लाख रूपये की राशि 130 कियोस्क निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी। 2005–2006 में भी इस योजना के लिए राशि के प्रावधान का प्रस्ताव है।

4. व्यावसायिक प्रशिक्षण : वित्तीय वर्ष 2004–2005 में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को टेलरिंग, इम्ब्रोडरी, मोटरवाईंडिंग, टाईप एवं आशुलिपिक, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, वी0सी0आर0, रेडियो मरम्मती, दरी मेकिंग आदि में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कुल 56.23 लाख रूपये की राशि स्वीकृत एवं आवंटित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2005–2006 में भी इस योजनान्तर्गत बजट प्रावधानद करने का प्रस्ताव है।

5. साईकिल वितरण : वित्तीय वर्ष 2004–2005 में इस योजनान्तर्गत कुल 35.00 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। इस योजनान्तर्गत सरकारी विद्यालयों एवं मदरसों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्राओं को शिक्षा के प्रावधान का प्रस्ताव है।

6. छात्रावास में उपस्कर आदि : पूर्व में निर्मित अल्पसंख्यक छात्रावासों के सुसज्जन हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 में कुल 68.93 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। 2005–2006 में भी इस मद में राशि के प्रावधान का प्रस्ताव है।

7. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम : अल्पसंख्यकों को ऋण मुहैया कराने हेतु वर्तमान में ज्ब्क्ब को चैनेलाईजिंग एजेन्सी बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2005–2006 में हिस्सा पूँजी मद में 100.00 लाख एवं सहायता अनुदान मद में 100.00 लाख रूपये बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

8. अल्पसंख्यकों के लिए वाहन योजना : गरीबी–रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले अल्पसंख्यकों को आय सृजन हेतु छोट वाहन उपलब्ध कराने की नयी योजना 2005–2006 में प्रस्तावित है, जिसके अर्न्गत 6 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर 25 प्रतिशत ऋण एवं 75 प्रतिशत सरकार की ओर से अनुदान दी जायेगी। 2005–2006 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि के प्रावधान का प्रस्ताव है।